तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 136/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/286) बअनवान आदुराम बनाम मोहनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

आदुराम व अन्य

बनाम

मोहनराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भंवरलाल पटेल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

आदेश

दिनांक 22 मई 2026

अपीलाट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 131/2024 अनवान मोहनराम बनाम आदूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28.04.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जून 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स की सहखातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 06–02–2025 के द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें केवल मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अधिक भिन्नता बतायी गई है। पक्षकारान् की ओर से पूर्व के बंटवाड़े को निरस्त करवाने की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। पूर्व में गलत बंटवाड़ा आदेश हुआ था, जो प्रस्ताव लाये गये थे, वो मौके पर नाप–चौक करके नही लाये गये थे, जिस कारण पक्षकारों का कब्जा एक दूसरे के अन्दर पाया जाता है, जिसके कारण कब्जे का विवाद हुआ था, लेकिन मौके पर इतना विवाद नहीं था कि कोई खुन–खराबा होने की स्थिति हो। प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर तरमीम गलत होने का निवेदन किया गया था एवं गलत तरमीम के आधार पर अपीलाण्ट की भूमि पर रेस्पोडेण्ट द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई थी, कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र पेश किया गया था, जिसके लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेजात् नहीं थे कि वर्तमान कब्जे से बाहर जाकर अपीलाण्ट द्वारा कोई कब्जा करना चाहते हो, इसलिए कुर्क की जानी आवश्यक है, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि का बंटवाडा हो जाने से रेस्पो. के हिस्से मे खेत खसरा नंबर 247/2, 247/20, 247/8 भूमि हिस्से में आई जो नक्शे मे तरमीम सुदा है। रेस्पो. अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है लेकिन पडौस में स्थित अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. के हिस्से की भूमि मे निर्माण कार्य करना प्रारम्भ किया तो रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया, किंतु फिर भी अपीलांट्स द्वारा जबरदस्ती निर्माण किया गया, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने एवं मौके पर शांति स्थापित किये जाने हेतु वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्ति का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बालेसर की रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 के मुताबिक मूल खसरा नम्बर 247/2 के सहखातेदारों के मध्य राजस्व नक्शे तथा मौके पर कब्जे को लेकर आपसी विवाद है तथा दोनो पक्षो के मध्य वाद–विवाद तथा झगडा होता रहता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगडने की सम्भावना बनी रहती है। तहसीलदार बालेसर द्वारा उक्त खसरो मे से रहवासीय मकान को छोडकर अन्य भूमि का कुर्क करने की अनुशंषा की गई। वादग्रस्त आराजीयात पर विवाद होने पर पुलिस थाना बालेसर में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए रिसीवर नियुक्ति का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 136/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/286) बअनवान आदुराम बनाम मोहनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2025 को यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर